यू0 एस0 तोमर
कुलसचिव

गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)
आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021
दूरभाष: 0522-2732193 फैक्स: 0522-2732185

(411)

पत्रांक गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/2011/ 61235-39
दिनांक 3-3-11

सेवा में,
निदेशक,
चन्द्रमौलि इंस्टीटयूट आफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नालाजी,
गोरखपुर।

विषय :- संस्था को शैक्षिक सत्र 2010-11 हेतु सम्बद्धता के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 2159/सोलह-1-2010-13/(13)/2010 दिनांक 11 अगस्त 2010 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमति से कार्यपरिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 04 दिसम्बर 2010 में चन्द्रमौलि इंस्टीटयूट आफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नालाजी, गोरखपुर को एम.बी.ए. पाठ्यक्रम 60 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन शैक्षिक सत्र 2010-11 हेतु दिनांक 1-07-2010 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बंध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी तथा शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बंन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बंधी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त समबद्धता स्वत: निरस्त समझी जायेगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा छात्रों से ली गयी फीस की सूचना एक पक्ष के अन्दर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वत: निरस्त हो जायेगा।
6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रुपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात 2011-12 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
7. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा। उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियां नही है, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. जिन संस्थाओं की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानको के सम्बंध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जाँच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बंधित संस्थाओं की सम्बद्धता तद् कार्यवाही के अधीन होगी।
9. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं *में* प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उपयुक्त शर्तो के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बंधी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(यू.एस.तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम कुलाधिपति/श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बंधित संस्था की पत्रावली ।

(यू.एस.तोमर)
कुलसचिव